05/4/18 आज पत्रावली देखी हुई। वादीगण या वकील वादी कोई उप० नहीं। बार-बार आवाज लगवाई गई। अब शाम के 5 बजे चुके है अतिरिक्त बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। न ही कोई प्रीलिटिगेन्ट (ही) उपस्थित आये। अतः औपचारिकता ही इसी तरह से प्रतिपक्ष वादीगण के वाद को अग्रहानी अभियोजन में खारिज किया जाता है। फैसला सुनाया। नस्ती बस्ते कर दी। वकालतनामा जिला लेखा कराया। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner